कार्यालय आत्मा, पूर्वी सिंहभूम

दिनांक 19.08.2023 को Food and Nutrition Security KY (पूर्ववर्ती NFSM) योजना वर्ष 2023-24 के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति (DFSMEC) की हुई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी अलग से संधारित है।

दिनांक 19.08.2023 को उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2023-24 Food and Nutrition Security योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गयी ।

सर्वप्रथम जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक, आत्मा पूर्वी सिंहभूम के द्वारा उपायुक्त -सह- अध्यक्ष आत्मा, पूर्वी सिंहभूम एवं जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति के सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार बैठक प्रारंभ की गयी।

Food and Nutrition Security योजनान्तर्गत राज्य मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का पत्रांक 151 दिनांक 24.07.2023 एवं राज्यादेश सं0 37 दिनांक 22.07.2023 द्वारा 93.62414 लाख राशि का कार्ययोजना प्राप्त है । प्राप्त कार्य योजना के अनुसार विभिन्न गतिविधियों का निम्न प्रकार क्रियान्वयन किया जाना है।

1. Demonstration on Improved Technologies : वार्षिक कार्य योजना के अनुसार कुल 242 हे0 रकवा में संकुल प्रत्यक्षण का कार्य किया जाना है। खरीफ में कुल 187 हे0 रकवा में प्रत्यक्षण किया जाना है। मूंग एवं मक्का बीज जिला को प्राप्त हुआ है जिसमें से 20 हे0 रकवा में मूंग तथा 20 हे0 रकवा में मक्का कुल 40 हे0 रकवा में खरीफ में प्रत्यक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। खरीफ में अवशेष 147 हे0 रकवा में रबी मौसम में बीज प्राप्त होने की स्थिति में चना या मसूर का प्रत्यक्षण किया जा सकता है। रबी मौसम में 55 हे0 रकवा में प्रत्यक्षण हेतु कार्य योजना में स्वीकृत है ।

Sl No.	Interventions	Total Area (Ha)	Session
1	2	3	4
1	**(a) Cluster Demonstrations (of 100 ha each)**		
	(i) Arhar	35	Kharif
	(ii) Gram	35	Rabi
	(iii) Urad bean	25	Kharif
	(iv) Moong	20	Kharif
	(v) Lentil	20	Rabi
	(vi) Any other	-	-
	Sub Total (a) :	**135**	
	(b) Cropping Sequence based demonstrations		
	(i) Rice-Chickpea	25	Kharif & Rabi
	(ii) Rice-lentil	20	

	(iii) Rice-summer moong	10	Kharif & Zaid
	(iv) Urad bean-Chickpea	10	Kharif & Rabi
	(v) Urad bean-lentil	10	
	Sub Total b (i) to (v) :	**75**	
	(c) Demonstration on Intercropping		
	(i) Arhar + Maize	20	Kharif
	(ii) Arhar + Jowar	5	
	(iii) Arhar + uradbean	7	
	Sub Total C :	**32**	
	Total 1 (a) and 1 (c) :	**242**	

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त खरीफ मौसम में अवशेष 147 हे0 एवं रबी मौसम के 55 हे0 कुल 202 रकवा में आगामी रबी मौसम में चना या मसूर फसल में संकुल प्रत्यक्षण कराने की स्वीकृति दी गयी।

2. Assistance for Distribution & Production of Seeds : Food and Nutrition Security वार्षिक कार्य योजना के अनुसार 50 प्रतिशत अनुदान पर प्रमाृणित बीज वितरण एवं उत्पादन का कार्यक्रम है।

Sl No.	Interventions	Total Quantity (Qtl.)
1	**2**	**3**
2	**a) Distribution of Certified Seeds (for varieties less than 10 years of age)**	
	(i) Arhar	45
	(ii) Gram	30
	(iii) Urad bean	30
	(iv) Moong	45
	(v) Lentil	40
	(vi) Any other	-
	Sub Total (b) :	**190**
	b) Distribution of Seeds (for varieties more than 10 years of age) Limited to 20 percent of total seed distribution target	
	(i) Arhar	20
	(ii) Gram	15
	(iii) Urad bean	15
	(iv) Moong	25
	(v) Lentil	15
	(vi) Any other	-
	Sub Total (b) :	**90**
	Total for seed distribution 2(a) & 2(b)	**280**
	c) Production of HYVs seeds (for varieties less than 10 years of age)	
	(i) Arhar	50
	(ii) Gram	55
	(iii) Urad bean	50
	(iv) Moong	40
	(v) Lentil	40
	(vi) Any other	-
	Sub Total (c) :	**235**
	Total for seed Item 2	**515**

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा विचारोपरांत प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु परियोजना निदेशक को JSLPS, NABARD, NGO, FPO से जुड़े कृषकों खासकर महिला कृषकों को प्राथमिकता देते हुए दलहनी फसलों की बीज उत्पादन कार्यक्रम को करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. Integrated Nutrient Management/ Integrated Pest Management (IPM) :

वार्षिक कार्य योजना के अनुसार समेकित पोषक तत्व प्रबंधन एवं समेकित कीट प्रबंधन हेतु 50% अनुदान पर उपादान वितरण करने का योजना है।

3	**a) Integrated Nutrient Management**	**Area (Ha)**
	(a) Micro- nutrients	445
	(b) Gypsum/80% WG Sulphur	325
	(c) Lime	300
	(d) Bio Fertilizers	210
	Sub Total INM 3 (a) to (d) :	**1280**
	b) Integrated Pest Management (IPM)	
	(a) Distribution of PP Chemicals	265
	(b) Weedicides	235
	Sub Total IPM 3 (a) to (b) :	**500**
	Total Soil & Plant Protection Mgmt. :	**1780**

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा परियोजना निदेशक आत्मा, पूर्वी सिंहभूम को कृषि उपादान का वितरण कर उक्त मद की राशि व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है।

4. कृषि यंत्र वितरण – Food and Nutrition Security वार्षिक कार्य योजना के कंडिका 4 (a) के अनुसार Farm Implements & Equipment's 4 (b) Efficient Water Application Tools मद के तहत 40% से 50% प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र एवं कृषि उपादान वितरण करने का प्रावधान है जो निम्नवत् है –

क्र0 सं0	कृषि यंत्र	अनुदान	इकाई (सं0/हे0)
	4 (a) में Farm Implements & Equipment's		
1	बैटरी (पावर) चालित स्प्रेयर (केवल अ0जा0/अ0ज0जा0, लघु, सीमान्त, महिला कृषक एवं उत्तर–पूर्व राज्य के कृषकों के लिए) 8–12 लीटर	रू0 3,100 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	30
2	बैटरी (पावर) चालित स्प्रेयर (अन्य कृषकों के लिए) 8–12 लीटर	रू0 2,500 प्रति इकाई या लागत का 40% जो भी कम हो	45
3	मैनुअल स्प्रेयर (केवल अ0जा0/अ0ज0जा0, लघु, सीमान्त, महिला कृषक एवं उत्तर–पूर्व राज्य के कृषकों के लिए)	रू0 750 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	105
4	मैनुअल स्प्रेयर (अन्य कृषकों के लिए)	रू0 600 प्रति इकाई या लागत का 40% जो भी कम हो	160
5	रोटोवेटर (केवल अ0जा0/अ0ज0जा0, लघु, सीमान्त, महिला कृषक एवं उत्तर–पूर्व राज्य के कृषकों के लिए) 35 BHP से कम– 5 फीट	रू0 42,000 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	2
6	रोटोवेटर (अन्य कृषकों के लिए) 35 BHP से कम– 5 फीट	रू0 34,000 प्रति इकाई या लागत का 40% जो भी कम हो	5
7	मल्टी क्रॉप थ्रेसर (केवल अ0जा0/अ0ज0जा0, लघु, सीमान्त, महिला कृषक एवं उत्तर–पूर्व राज्य के कृषकों के लिए) 35 BHP से कम/4 टन प्रति घंटा	रू0 1,00,000 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	1

	क्षमता		
8	मल्टी क्रॉप थ्रेसर (अन्य कृषकों के लिए) 35 BHP से कम/4 टन प्रति घंटा क्षमता	रू0 80,000 प्रति इकाई या लागत का 40% जो भी कम हो	1
9	Chisel Plough (केवल अ0जा0/अ0ज0जा0, लघु, सीमान्त, महिला कृषक एवं उत्तर-पूर्व राज्य के कृषकों के लिए) 20 BHP से कम	रू0 10,000 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	1
10	Ridge Furrow Planter (केवल अ0जा0/अ0ज0जा0, लघु, सीमान्त, महिला कृषक एवं उत्तर-पूर्व राज्य के कृषकों के लिए) 20 BHP से कम	रू0 30,000 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	1
11	सीड स्टोरेज बीन	रू0 1,000 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	15
4 (b) Efficient Water Application Tools			
12	स्प्रींकलर सेट	The cost for sprinkler irrigation system for 1 ha. Would be Rs. 21,901/- per ha. Depending on diameter of pipe used as per guideline under PMKSY	1
13	पम्प सेट	रू0 10,000 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	30
14	पाइप (जलस्रोत से पानी कृषि प्रक्षेत्र में ले जाने के लिए)	रू0 50/- प्रति इकाई भ्क्च्म पाइप रू0 35/- प्रति मीटर च्टब पाइप और रू0 20/- मीटर भ्क्च्म कोटिंग की हुई। अधिकतम रू0 15,000/- का प्रति कृषक को देय या कृषक समूह/लाभुकों को देय	370
15	मोबाइल रेन गन	Rs. 34,513/ha. Depending on diameter of pipe used as per guideline under PMKSY	1

जिला कृषि पदाधिकारी-सह-परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि कृषि यंत्र एवं कृषि उपादान का वितरण हेतु दैनिक समाचार पत्र में कृषकों के लिए आवश्यक सूचना का प्रकाशन किया गया है जिसका सं0- PR304214 (Agriculture) 23-24*D है। निम्न शर्तो के आधार पर इच्छुक कृषकों को लाभान्वित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है -

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के शर्त के अनुसार पूर्व के 03 वर्ष से कृषि विभाग से कोई लाभ जिन किसान को नहीं मिला है, कृषि यंत्र एवं कृषि उपादान प्राप्त करने के पात्र होंगे।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के शर्त के अनुसार 30% योग्य महिला किसानों को लाभान्वित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. कृषक अपने माँग संबंधी आवेदन संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ सहायक तकनीकी प्रबंधक/ जनसेवक से अनुशंसा प्राप्त कर टोकन निर्गत होने के उपरांत ही कृषि यंत्र एवं कृषि उपादान प्राप्त करेंगे।
4. लाभुक कृषक को कृषि यंत्र एवं कृषि उपादान का निर्धारित पूर्ण राशि का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार द्वारा जिला कृषि विभाग के माध्यम से लाभुक किसान को 50% अनुदान की राशि DBT के द्वारा उनके बचत बैंक खाता में वापस भुगतान कर दिया जाएगा।

5. कृषि यंत्र का वितरण राज्य स्तर से चयनित आपूर्तिकर्त्ता या उनके द्वारा जिला स्तर पर अधिकृत उनके वितरक के माध्यम से आपूर्ति किया जाएगा।

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा परियोजना निदेशक आत्मा, पूर्वी सिंहभूम को कृषि यंत्र का वितरण कर उक्त मद की राशि व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

4. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम एवं अन्यान्य मद की राशि का व्यय – Food and Nutrition Security वार्षिक कार्य योजना के कंडिका 4(d) (a) में Project management team & misc. expenses at district level मद में कुल 14.50 लाख राशि कर्णांकित है। उक्त मद की राशि का आंवटन जिला स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के गतिविधियों का क्रियान्वयन हेतु किया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के गतिविधियों का क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर के पदाधिकारी/ कर्मी एवं प्रखण्ड स्तर के प्रसार कर्मी जिम्मेदारी का वहन करते हैं। आत्मा कार्यालय में Food and Nutrition Security योजनान्तर्गत के गतिविधियों से संबंधित कम्प्युटर कार्य, प्रिटिंग कार्य किये जाते है एवं पदाधिकारी/ प्रसार कर्मियों के द्वारा योजनान्तर्गत गतिविधियों के संचालन, अनुश्रवण हेतु यात्रा, प्रक्षेत्र भ्रमण, दस्तावेजीकरण का कार्य किया जाता है जिसमें दो तकनीक सहायक, एक कन्सल्टेंट के मानदेय, यात्रा व्यय, किराये का वाहन, ईंधन व्यय, स्टेशनरी, कम्प्युटर कार्य, प्रिटिंग कार्य जैसे गैर आवर्ती (Non-Recurring) एवं पुनरावर्ती (Recurring) व्यय आते है।

जिला स्तर पर Food and Nutrition Security योजनान्तर्गत दो तकनीक सहायक, एक कन्सल्टेंट पदस्थापित नहीं है । इस लिए उक्त मद अंतर्गत अन्यान्य कार्य हेतु जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति से Project management team & misc. expenses at district level मद की राशि कुल 14.50 लाख (चौदह लाख पचास हजार रूपये) राशि में से आवश्यकतानुसार अधिकतम 2.40 लाख (मार्गदर्शिका पृष्ठ सं0 30 पर द्रष्टव्य) व्यय किया जा सकता है।

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा नियमानुसार Food and Nutrition Security योजनान्तर्गत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु व्यय करने की स्वीकृति दी गयी।

5. Local Initiative मद की राशि का व्यय – Food and Nutrition Security वार्षिक कार्य योजना के कंडिका 4(e)(a) में Local Initiative मद के तहत आठ (08) ईकाई में 30X30 Size का थ्रेसिंग फ्लोर का निर्माण किया जाना है जिसके लिए प्रति इकाई लागत प्राक्कलन के अनुसार 1.150 लाख रूपये है। 50% अनुदान पर 57,500/- की दर से कुल 4.60 लाख राशि कर्णांकित है। कंडिका 4 (e) (b) में Local Initiative मद के तहत 01 इकाई मिनी दाल मिल हेतु 50% अनुदान 0.950 लाख राशि कर्णांकित है।

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा प्राक्कलन के अनुसार थ्रेसिंग फ्लोर का निर्माण कराने के उपरांत व्यय करने की स्वीकृति दी गयी एवं स्वयं सहायता समूहों एवं महिला किसानों को प्राथमिकता देते हुए अनुदान पर मिनी दाल मिल इकाई का वितरण करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

6. NFSM-Nutri Cereals योजना – वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (Nutri Cereals) कार्यक्रम के तहत राज्य मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का पत्रांक 151 दिनांक 24.07.2023 द्वारा 2.50 लाख राशि का वार्षिक कार्य योजना प्राप्त हुआ है । मोटे अनाज के

प्रत्यक्षण एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत इस कार्य योजना के अनुसार विभिन्न गतिविधियों का निम्न प्रकार क्रियान्वयन किया जाना है।

Sl No.	Interventions	Total Area (Ha)	Session
1	2	3	4
1	**(a) Cluster Demonstrations (of 100 ha each)**		
	(i) Jowar	10	Kharif
	(ii) Ragi	5	
	Sub Total (item 1) :	**15**	
2	**Seed Production**		
	(i) Jowar (for varieties < 10 years)	11	Kharif
	(ii) Jowar (for varieties > 10 years)	6	
	(iii) Ragi (for varieties < 10 years)	2	
	(iv) Ragi (for varieties > 10 years)	1	
	Sub Total (item 2) :	**20**	
3	**Certifies Seed production of HYVs**		
	(i) Jowar	15	Kharif
	Sub Total (item 3) :	**15**	
4	**Integrated Nutrient Management**		
	(i) Lime	20	
	(ii) Bio Fertilizers	20	
	Sub Total (item 4) :	**40**	
5	**Integrated Pest Management (IPM)**		
	(i) Distribution of PP Chemicals	35	
	(ii) Weedicides	10	
	Sub Total (item 5) :	**45**	
6	**Flexi Components**		
	Farm Implements & equipment's		
	(i) Manual Sprayer (for SC/ST, small & marginal, women farmers & NE States)	1	
	(ii) Manual Sprayer (for other farmers)	1	
7	**Efficient Water Application Tools :**		
	Sprinkler Sets (The cost for sprinkler irrigation system for 1ha would be Rs. 19,542 to Rs.21,901/-per ha. depending on diameter of pipe used as per guideline under PMKSY)	1	

उपरोक्त संकुल प्रत्यक्षण एवं बीज उत्पादन कार्यक्रम खरीफ मौसम का है। राज्य स्तर से बीज आपूर्ति नहीं होने के कारण प्रत्यक्षण का कार्य नहीं किया जा सका है। शेष गतिविधियों यथा कीटनाशक, पोषक तत्व एवं कृषि यंत्र, उपादान वितरण का कार्य चयनित किसानों को किया जाना है।

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा मार्गदर्शिका एवं राज्यादेश में निहित नियम एवं शर्तो के अनुरूप गतिविधियों का क्रियान्वयन करने एवं मदवार कर्णांकित राशि के व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

अंत में उपायुक्त सह अध्यक्ष के अनुमति से जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

22/08/23

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

22/08/2023

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक...324...../ आत्मा, दिनांक...22.....वीं अगस्त, 2023 ।

प्रतिलिपि : जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति के माननीय सभी सदस्यगण, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ समर्पित।

22/08/23

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक...324...../ आत्मा, दिनांक...22.....वीं अगस्त, 2023 ।

प्रतिलिपि : उपायुक्त-सह-अध्यक्ष/ उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

22/08/23

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक...324...../ आत्मा, दिनांक...22.....वीं अगस्त, 2023 ।

प्रतिलिपि : निदेशक समेति, झारखण्ड, राँची/ राज्य मिशन निदेशक, NFSM, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

22/08/23

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक...324...../ आत्मा, दिनांक...22.....वीं अगस्त, 2023 ।

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक झारखण्ड, राँची की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

22/08/23

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक...324...../ आत्मा, दिनांक...22.....वीं अगस्त, 2023 ।

प्रतिलिपि : सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड सरकार की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

22/08/23

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।